को दूर किया गया है । संशोधित मार्गदर्शिका में यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक कार्यान्वयन राज्य मुख्य सचिव/हथ करघा प्रभावी सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तर कार्यान्वयन समिति का गठन करें जिसमें नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, उपभोक्ता प्रतिनिधियों तथा अन्य विशेषज्ञों आदि को सदस्य के रूप में शामिल किया जाए । यह समिति उत्पादन और वितरण व्यवस्था के कार्य आदि की निगरानी करेगी ।

रेशमी सूत का आयात

1074. **श्री राम नरेश यादव** : क्या वस्त्र मंत्री 4 मई, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 603 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुनकरों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिये इस समय कितना रेशमी सूत आयात किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा उन पर कितनी राशि खर्च की जा रही है ;

(ख) आयातित सूत का वितरण किस प्रकार किया जा रहा है ; और

(ग) क्या सरकार मांग और पूर्ति के अन्तर को भरने के लिये और अधिक सूत का आयात करने का विचार रखती है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड/शीर्ष समितियों/राज्य हथकरघा विकास निगमों को जनवरी, 1992 के माह में 8 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य के 200 मीट्रिक टन कच्चे रेशम के आयात की अनुमति दी थी। केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा मार्च, 1992 में मांगी गई 484 लाख रु० मूल्य की 46.26 मीट्रिक टन मात्रा की तुलना में 42.46 मीट्रिक टन मात्रा पहले ही प्राप्त हो चुकी है ।

(ख) को-ओपटेक्स, मद्रास; कर्नाटक रेशम उद्योग निगम, बंगलौर, कर्नाटक हथकरघा विकास निगम, बंगलौर; यू०पी०, राज्य हथकरघा निगम, कानपुर राज्य टसर समिति, भुवनेश्वर; उ० प्र० औद्योगिक सहकारी समिति, कानपुर; विदर्भ विकास निगम, नागपुर; एम०पी० राज्य वस्त्र निगम भोपाल और राजस्थान राज्य अभिकरणों के अनुरोध पर कच्चे रेशम का आयात किया गया है । इसके लिए जमानत राशि के रूप में कच्चे रेशम की लागत का 20% वसूल किया गया । केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आयातित 42.46 मीट्रिक टन कच्चे रेशम में से 37.26 मीट्रिक टन मात्रा को उन राज्य अभिकरणों को पहले ही वितरित किया जा चुका है जिन्होंने आवंटित कच्चे रेशम की पूर्ण लागत का भुगतान कर दिया है ।

(ग) पेब्राइन रोग फैलने से कोशा की फसल न होने के फलस्वरूप कच्चे रेशम की कम सप्लाई होने के कारण फरवरी, 1992 में कच्चे रेशम के मूल्य 1900/- प्रति कि०ग्रा० तक पहुंच गये । राज्य सरकार अभिकरणों और वास्तविक प्रयोक्ताओं ने केन्द्र सरकार और केन्द्रीय रेशम बोर्ड से अनुरोध किया है कि वे उचित दरों पर रेशम की सप्लाई करने में सहायता करें । तथापि, इसी बीच कच्चे रेशम की सप्लाई की स्थिति में सुधार आ गया और क्वालिटी के आधार पर मूल्य भी गिरकर 1100/- रु० और 1300/- रु० प्रति कि०ग्रा० के स्तर पर आ गये । ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य अभिकरण आयातित कच्ची रेशम में दिलचस्पी लेते प्रतीत नहीं होते हैं ।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों द्वारा रेशम के धागे का उत्पादन

1075. **श्री अजीत जोगी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी इलाकों में कोसा (रेशम) तथा अन्य किस्म के रेशम के धागों का उत्पादन बढ़ाकर आदिवासियों के लिये रोजगार के अवसरों तथा उनकी आय में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) मध्य प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर, राजगढ़, शहडोल और सिधी जिलों में इस दिशा में क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?